आन्ध्रप्रदेश राज्य

बनाम

किसान सेवा सहकारी समिति व अन्य

16 अगस्त, 2004

अरिजीत पसायत व सी.के. ठक्कर, न्यायाधिपति

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955-धारा 7(1)(a)(i)

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482

अपास्त किये जाने के लिये याचिका-यह अभिकथन कि, परिवाद में अभिकथित अपराध अन्तर्गत धारा 7(1)(a)(ii) के लिये अधिकतम दण्ड एक साल है जो कि दो साल बाद प्रस्तुत किये जाने के कारण परिसीमा द्वारा बाधित है-उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही अपास्त की। अपील में यह अभिनिर्धारित किया है कि, यह विवादित नहीं हो सकता है कि, धारा 7(1)(a)(ii) के अधीन दण्ड एक साल ना हो और जबकि, आरोपीगण का अभिवाक उच्च न्यायालय में धारा 7(1)(a)(i) से संबंधित है अतः उच्च न्यायालय का आदेश नई याचिका प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ अपास्त।

प्रत्यर्थीगण द्वारा इस आधार पर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही को अपास्त करने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की

धारा 482 के अधीन याचिका दायर की कि, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7(1)(a)(ii) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये अधिकतम दण्ड जिसका उल्लंघन परिवाद में अभिकथित किया गया था, एक साल है, इसलिये आरोप पत्र जो कि अपराध की तारीख के बाद लगभग दो साल में प्रस्तुत किया गया था, परिसीमा द्वारा बाधित था और इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा कार्यवाही अपास्त की। इस न्यायालय के समक्ष अपील में अपीलार्थी राज्य ने यह प्रतिवादित किया कि, कार्यवाहियां अपास्त नहीं की जा सकती थी क्योंकि उक्त धारा के अधीन अधिकतम दण्ड सात साल है ना कि एक साल।

प्रत्यर्थीगण द्वारा यह प्रतिवादित किया गया कि, परिवाद में अभियोग धारा 7(1)(a)(i) से संबंधित है ना कि धारा 7(1)(a)(ii) से संबंधित और इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा धारा 7(1)(a)(ii) को गलत तरीके से निर्दिष्ट किया। अभिनिर्धारित किया कि, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण के निवेदन को स्पष्टतः नोट किया है कि, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(1)(a)(ii) के लिये दण्डनीय अपराध के लिये अधिकतम दण्ड एक साल है। यह विवादित नहीं किया जा सकता है और प्रत्यर्थीगण द्वारा विवादित नहीं है कि धारा 7(1)(a)(ii) से संबंधित अपराध के लिये अधिकतम दण्ड एक साल नहीं है। इसलिये उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाना चाहिये। यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा एक नई याचिका उच्च

न्यायालय में दायर की जाती है तो उस पर कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी और उसका निपटारा किया जायेगा।

दाण्डिक अपील अधिकारिता: दाण्डिक अपील संख्या 887/2004

आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय में दांडिक याचिका संख्या 3977/2001 पारित निर्णय व आदेश दिनांक 15.02.02।

श्रीमती भारथी रेड्डी - अपीलार्थी की ओर से।

ए.टी.एम. रंगा रामानुजन, श्रीमती गौरी करूणा दास, सुश्री अनु गुप्ता, एस.सी. गुप्ता, श्री देबजानी दास पुकास्थेरया, अजय पाण्डे व सुश्री रानी जेठमलानी - प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायाधिपति- अरिजीत पसायत

अनुमति प्रदान की।

आन्ध्रप्रदेश राज्य ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने व दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के अधीन की गई प्रार्थना को स्वीकार कर माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय को सही होने को प्रश्नगत किया है।

संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि, 24 जुलाई, 1998 को उर्वरक निरीक्षक ने प्रत्यर्थी संख्या 1 समिति के परिसर का निरीक्षण किया जिस पर उर्वरक

का व्यापार संचालित हो रहा था। उसने जिंक सल्फेट का नमूना एकत्रित किया और उसे रासायनिक विश्लेषण के लिये भेज दिया। नमूने के विश्लेषण के पश्चात् संबंधित प्रयोगशाला की यह रिपोर्ट थी कि, नमूना अपेक्षित विवरण के अनुसार नहीं था। तद्नुसार अनुसंधान किया गया एवं उसके पूर्ण होने पर संबंधित सहायक निदेशक कृषि, मेडक ने न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जोगीपेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जो कि सी.सी.नम्बर 453/2000 के रूप में पंजीबद्ध किया गया। सभी प्रत्यर्थीगण को परिवाद में अभियुक्त व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया।

प्रत्यर्थीगण ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका पेश की जिसे आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दांडिक याचिका संख्या 3977/2001 के रूप में पंजीबद्ध किया गया। उक्त याचिका में प्राथमिक आधार यह था कि, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(1)(a)(ii) के अधीन दण्डनीय अपराध के लिये, जो परिवाद में अभिकथित किया गया है, उपबंधित अधिकतम दण्ड एक साल है। जबकि आरोप पत्र अपराध की तारीख के पश्चात् करीब दो साल में पेश किया है जो कि, परिसीमा द्वारा बाधित है। उक्त अभिवाक माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार किया गया व न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत सीसी नम्बर 453/2000 में कार्यवाही को निरस्त कर दिया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 7(1)(a)(ii) से संबंधित अपराध के लिये अधिकतम दण्ड एक साल है, गंभीर त्रुटि कारित की है जबकि वास्तव में अधिकतम दण्ड सात साल है। इसलिये केवल इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायलय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। जवाब में प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि, भले ही परिवाद में आरोपों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाता है तो भी प्रत्यर्थीगण द्वारा धारा 7(1)(a)(i) से संबंधित अपराध का आरोप लगाया जा सकता है ना कि 7(1)(a)(ii) का, जैसा कि अपीलार्थी ने तर्क उठाया है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वही आधार वर्तमान प्रत्यर्थीगण द्वारा लिये गये थे। दुर्भाग्यवश माननीय उच्च न्यायालय ने 7(1)(a)(ii) को आदेश में विनिर्दिष्ट किया है अतः माननीय उच्च न्यायालय का आदेश उसमें हस्तक्षेप किये बिना किसी त्रुटि से ग्रसित नहीं है।

हम पाते है कि, उच्च न्यायालय ने वर्तमान प्रत्यर्थीगन के निवेदन को नोट किया है कि, 7(1)(a)(ii) के अधीन अपराध के लिये अधिकतम दण्ड एक साल है। वर्तमान प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्तमान में जो तर्क दिया जा रहा है वह उच्च न्यायालय के समक्ष जो तर्क दिया गया है, उससे भिन्न प्रतीत होता है।

अधिनियम की धारा 7 (1) इस प्रकार है:

7 (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के तहत दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करता है।

क- वह दण्डनीय होगा।

(i) उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ज) या खण्ड (आई) के संदर्भ में दिये गये आदेश के मामले में एक अवधि के लिये कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिये भी उत्तरदायी होगा और

(ii) किसी अन्य आदेश के मामले में कारावास की सजा, जिसकी अवधि तीन महीने से कम की नहीं होगी लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता हैं और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

बशर्ते कि न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किसी भी पर्याप्त और विशेष कारणों के लिये तीन महीने से कम अवधि के लिये कारावास की सजा दे सकता है।

ख- ऐसी कोई सम्पत्ति जिसके संबंध में आदेश दिया गया है, उल्लंघन करने पर सरकार द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

ग- कोई पैकेज, आवरण या पात्र जिसमें सम्पत्ति पाई जाती है और कोई पशु, वाहन, पोत या अन्य वाहन जिसका उपयोग वस्तु को ले जाने में किया जाता है।

यदि न्यायालय ऐसा आदेश देता है तो उसे सरकार द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

इस विवादित नहीं किया जा सकता है और प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा इस पर विवाद नहीं किया है कि, धारा 7(1)(a)(ii) से संबंधित अपराध के लिये अधिकतम सजा एक वर्ष नहीं है, ऐसा होने पर उच्च न्यायालय के आदेश को आवश्यक रूप से रद्द किया जाना चाहिये।

प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया है कि, उच्च न्यायालय के समक्ष दलीलें अधिनियम की धारा 7(1)(a)(i) के इर्द-गिर्द घूमती थी और एक नयी याचिका दायर की जावेगी और यदि एक नई याचिका को दायर की जाती है तो उसे कानून के अनुसार निस्तारित किया जावेगा।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजीव जिंदल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।